"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2012—चैत्र 8, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-74/7-3/2010.—छत्तीसगढ़ व्यपवर्तन नियम, 1962 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कक्ष क्रमांक 149, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(1) अनुसूची के सरल क्रमांक 1 के समानान्तर कॉलम (2) की प्रविष्टि में, शब्द "आवासीय कालोनी/परियोजना" के पूर्व शब्द "आवासीय इकाई/" अन्तःस्थापित किया जाये.

(2) सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	भूमि व्यपवर्तन का प्रयोजन (2)	भूमि व्यपवर्तन की सीमा (3)	सक्षम प्राधिकारी (4)
"5.	औद्योगिक प्रयोजन	(एक) 2 हेक्टेयर तक	कलेक्टर
		(दो) 2 हेक्टेयर से अधिक	राज्य शासन"

Raipur, the 27th March 2012

NOTIFICATION

No. F-6-74/7-3/2010.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Diversion of Land Rules, 1962, which the State Government in exercising the powers conferred by sub-section (1) of Section 258 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), proposes to make, is hereby published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration ofter the expiry of thirty day from the date of publication of this notice in the Official Gazatte.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Secretary, Department of Revenue and Disaster, Management, Government of Chhattisgarh, Room No. 149, Dau Kalyan Singh Bhavan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

(1) In the entries in column (2) against serial Number 1 of the Schedule, before the words "Residential Colony/ Project" the words "Residential Unit/" shall be inserted.

(2) For serial Number 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Purpose of Land Diversion (2)	Extent of Land Diversion (3)	Competent Authority (4)
"5.	Industrial Purpose	(i) uoto 2 hectares	Collector
		(ii) more than 2 hectares	State Government"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.